

[2019] 14 एस. सी. आर 1

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास

प्राधिकरण और अन्य

बनाम्

अमित कुमार और अन्य

(सिविल अपील संख्या 8219/2019)

22 अक्टूबर, 2019

[दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस न्यायमूर्तिगण]

औद्योगिक विकास-अनर्जित वृद्धि की वसूली-अधिकार-औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटनकर्ता को एक भूमि आवंटन किया गया था-बिहार राज्य के बीच एक पट्टा विलेख दर्ज किया गया था (अधिकार बाद में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी. आई. ए. डी. ए.) को हस्तांतरित किए गए थे) और आवंटनकर्ता-बिहार सरकार द्वारा कुछ अन्य व्यक्तियों को आवंटनकर्ताओं से औद्योगिक संपदा के हस्तांतरण के लिए तौर-तरीके और शुल्क निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था-इसके अनुसार, बी. आई. ए. डी. ए. ने आगे हस्तांतरण के लिए लागू सर्कल दर के आधार पर भूमि की लागत तय की- उच्च न्यायालय ने कहा कि जब भूमि के आवंटनकर्ता ने किसी अन्य संस्था को भूमि हस्तांतरित की, तो बी. आई. ए. डी. ए. केवल लागत के आधार पर अनर्जित वृद्धि की वसूली करने का हकदार था। औचित्य-अभिनिर्धारित: उचित नहीं भूमि मूल आबंटित व्यक्ति को बी. आई. ए. डी. ए. द्वारा निर्धारित मूल्य पर दी गई थी-जब आबंटित व्यक्ति हस्तांतरण करता है और भूमि के बदले कुछ और प्राप्त करता है या सर्कल दर में परिलक्षित बाजार मूल्य उस कीमत से बहुत अधिक होता है जिस पर भूमि आबंटित की गई थी, तो कोई कारण नहीं है कि आबंटित व्यक्ति को सभी अनर्जित वृद्धि का भुगतान करना पड़े और बी. आई. ए. डी.

ए., जो भूमि का मूल मालिक था, को भूमि के मूल्य से अनर्जित वृद्धि के उचित हिस्से से वंचित कर दिया जाना चाहिए-इसलिए, बी. आई. ए. डी. ए. द्वारा लागू सर्कल दर के आधार पर भूमि की कीमत तय करना वैधानिक और वैध था ।

अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा:

अभिनिर्धारित 1. यह पूरे देश में मानक प्रथा है, विशेष रूप से उस समय जब इन पट्टों को औद्योगिक संपदाओं की स्थापना के लिए निष्पादित किया गया था, जिसमें भूमि बहुत कम कीमत पर और कभी-कभी अनुदानित दरों पर दी जाती थी ताकि राज्य में औद्योगिक संपदाएँ स्थापित करने में मदद मिल सके। यह उम्मीद की जा रही थी कि फलते-फूलते उद्योगों के साथ इन औद्योगिक संपदाओं की स्थापना से बहुत सारे रोजगार पैदा होंगे और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति में राजस्व भी उत्पन्न होगा। मुद्दा यह है कि जब आवंटनी वाणिज्यिक कारणों से भूमि का हस्तांतरण करता है, तो प्राधिकरण को भुखण्ड के आवंटन द्वारा अर्जित अनर्जित आय का उचित हिस्सा केवल प्रश्रुत भुखण्ड का हस्तांतरण करके क्यों नहीं मिलना चाहिए। अनर्जित वृद्धि पर अधिमूल्य केवल भूमि के मूल्य पर लगाया जा रहा है, न कि लेनदेन के मूल्य पर। एक बार जब कोई उद्योग स्थापित हो जाता है तो उसके विभिन्न घटक हो सकते हैं जिनमें अचल संपत्तियों का मूल्य, मशीनरी का मूल्य आदि और कंपनी द्वारा उत्पन्न सद्भावना का मूल्य भी शामिल है। दूसरी ओर ऐसी कंपनियाँ हैं जो घाटे में चल रही इकाइयाँ हैं जहाँ इकाइयों की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना करते समय कर्मचारियों और विभिन्न लेनदारों के कारण ऋणों और देनदारियों को शामिल करना होगा। भूमि की लागत में अनर्जित वृद्धि का आकलन करते समय उन्हें ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। [कंडिका 10] [5-एफ-एच; 6-ए-बी]

2. यह भूमि मूल आबंटित व्यक्ति को बी. आई. ए. डी. ए. द्वारा निर्धारित कीमत पर दी गई थी। जब आबंटित व्यक्ति हस्तान्तरण करता है और उसे भूमि के बदले कुछ और प्राप्त करता है या सर्कल दर में परिलक्षित बाजार मूल्य उस कीमत से बहुत अधिक होता है जिस पर भूमि आबंटित की गई थी, तो कोई कारण नहीं है कि आबंटित व्यक्ति को इस सभी अनर्जित वृद्धि का भुगतान करना पड़े और बी. आई. ए. डी. ए., जो भूमि का मूल मालिक था, को भूमि के मूल्य से अनर्जित वृद्धि के उचित हिस्से से वंचित कर दिया जाना चाहिए।

इसलिए, यह अदालत उच्च न्यायालय से सहमत नहीं है कि अनर्जित वृद्धि केवल बी. आई. ए. डी. ए. मूल्य और विकास शुल्क के आधार पर ली जा सकती है और इस अदालत की राय में बी. आई. ए. डी. ए. की भूमि की लागत निर्धारित करने की नीति लागू सर्कल दर के आधार पर कानूनी और वैध है। [कंडिका 11] [6-सी-डी]

दीवानी अपीलीय क्षेत्रधिकार दीवानी अपील संख्या 8219/2019

सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 9696/2005 में पी. ए. सं. 68/2008 में उच्च न्यायालय पटना के न्यायाधिकार के निर्णय और आदेश से

साथ में

सी. ए. संख्याएँ 8220/2019, 8221/2019, 8222/2019

गौरव अग्रवाल, सुश्री अनीशा उपाध्याय, राजीव त्यागी, नीरज शेखर, अनिमेष कुमार, सुमित कुमार, आशुतोष ठाकुर, सुश्री एकता भारती, उपस्थित दलों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ति (मौखिक), द्वारा सुनाया गया।

निर्णय

अनुमति दी गई।

इन अपीलों में शामिल कानूनी मुद्दा यह है कि क्या पटना उच्च न्यायालय यह निर्णय देने में सही था कि जब औद्योगिक उद्देश्यों के लिए आवंटित भूमि के आवंटियों ने आगे किसी अन्य इकाई को भूमि हस्तांतरित की, तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीआईएडीए) केवल भूमि और विकास की लागत के आधार पर अनर्जित वृद्धि की वसूली शुल्क लेने का हकदार था न कि भूमि के बाजार मूल्य या भूमि की सर्कल दर के आधार पर।

इन चार मामलों में हम जो निर्णय लेना चाहते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों को विस्तार से बताया जाए। हालांकि, अपीलों के इन सेट के निर्णय के प्रयोजनों के लिए, हम सीए संख्या 8222/2019 (एसएलपी (सी)

संख्या 5251/2017 से उत्पन्न) में तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं। बिहार राज्य और मेसर्स ओरिएंट बेवरेजेज लिमिटेड के बीच किए गए पट्टा विलेख का खंड 4 (i), जिसे प्रति वर्ष 87.50 रुपये के किराए के साथ 42,000 रुपये की राशि में 99 साल की अवधि के लिए पट्टे पर भूमि दी गई थी, इस प्रकार है:

“खंड 4 (i):-

यह कि पट्टेदार, पट्टाकर्ता या उसके नामित व्यक्ति की पूर्व सहमति के बिना भूमि पर अथवा उस पर किसी अधिकार या हित को अथवा उसके संबंध में कब्जा नहीं सौंपेगा, गिरवी नहीं रखेगा, किराये पर नहीं रखेगा अथवा उसे अलग नहीं रखेगा।”

लीज डीड के खंड 4 (ii) में प्रावधान किया गया है कि लीज का कोई हस्तांतरण तब तक नहीं होगा जब तक कि राज्य द्वारा विशेष रूप से अनुमति न दी जाए। उक्त खंड इस प्रकार है:

“खंड 4 (ii):-

पट्टा, स्वामित्व या साझेदारी में कोई परिवर्तन, यदि यह एक निजी लिमिटेड या असीमित कंपनी है या एक पंजीकृत या अपंजीकृत फर्म है, को पट्टेदार या उसके नामित व्यक्ति की पूर्व लिखित सहमति के बिना मान्यता नहीं दी जाएगी।”

यह विवादित नहीं है कि बिहार राज्य के अधिकार अंततः बीआईएडीए को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। बीच में, कुछ अन्य प्राधिकारी भी हो सकते हैं, लेकिन इस मामले के निर्णय के लिए यह प्रासंगिक नहीं है।

वर्ष 1998 में मूल पट्टेदार मेसर्स ओरिएंट बेवरेजेज लिमिटेड ने मेसर्स भारत कोका-कोला बॉटलिंग नॉर्थ ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पट्टे पर अधिकारों के हस्तांतरण के लिए आवेदन किया था और कथित हस्तांतरण के समय 17,50,000/- रुपये की राशि अधिमूल्य के रूप में दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ओरिएंट बेवरेजेज लिमिटेड द्वारा

भारत कोका-कोला बॉटलिंग नॉर्थ ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में 2.02 करोड़ रुपये की राशि में हस्तांतरण किया गया था। बाद में वर्ष 1999 में भारत कोका-कोला बॉटलिंग नॉर्थ वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, भारत कोका-कोला बॉटलिंग साउथ ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड और भारत कोका-कोला नॉर्थ वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड (पट्टे का हस्तांतरणकर्ता) के बीच एकीकरण की एक योजना शुरू की गई और इन तीनों को मिलाकर हिंदुस्तान कोका-कोला बॉटलिंग साउथ वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाया गया। मैसर्स हिंदुस्तान कोका-कोला बॉटलिंग साउथ वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम बदलकर मैसर्स हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया जो हमारे समक्ष प्रतिवादी और उच्च न्यायालय के समक्ष मूल रिट याचिकाकर्ता है। इसके बाद, अपीलार्थी (ओं) को एक संदेश भेजा गया कि नाम में परिवर्तन किया गया था और अपीलार्थी-प्राधिकरण के रिकॉर्ड में नाम बदला जाना चाहिए और यह अनुमति कुछ मामूली शुल्क के भुगतान पर दी गई थी।

इस बीच, बिहार सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया जो आवंटियों से किसी अन्य व्यक्ति को औद्योगिक संपदाओं के हस्तांतरण के लिए तौर-तरीके और शुल्क निर्धारित करती है। समिति की प्रासंगिक सिफारिशें इस प्रकार हैं:

“(क) यदि भूमि का उपयोग नहीं बदला गया है तो लीज धारकों को शुल्क का भुगतान करके भूमि को हस्तांतरित करने या बेचने का अधिकार होना चाहिए;

(ख) हस्तांतरण या बिक्री के मामले में सिफारिश की गई राशि वर्तमान बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत थी।”

18 दिसंबर, 2003 को अपीलकर्ता-प्राधिकरण द्वारा एक कार्यालय आदेश जारी किया गया था, जिसमें उस समय भूमि के लिए अंचल दर का 15% लेने और अन्य देय राशियों के बाद आवंटी के संविधान में बदलाव की अनुमति दी गई थी। दिनांक 12.03.2004 को एक विशिष्ट आदेश जारी किया गया जिसमें निर्धारित दर के 15 प्रतिशत के भुगतान पर भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दी गई। इसके बाद, 10.03.2005 को, अपीलार्थी-प्राधिकरण द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ताओं को एक पत्र जारी किया गया कि

1.75 एकड़ भूमि के बाजार मूल्य का 15% 4,25,250/- रुपये है। कुछ पत्राचार के बाद यह राशि 12 अप्रैल, 2007 को जमा करा दी गई। इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि अंचल दर के आधार पर 15% बाजार मूल्य का आकलन करने का निर्णय लिया गया था, न कि केवल लेन-देन में दिखाई देने वाली दर के आधार पर। 15.05. 2007 के इस बाद के निर्णय के आधार पर 45,17,318 रुपये की नई मांग की गई और पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित करने के बाद, देय शेष राशि का मूल्यांकन इस प्रकार किया गया। रु. 40,64,523/- इस मांग से व्यथित मैसर्स हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड ने पटना उच्च न्यायालय में 2013 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5553 के साथ एक रिट याचिका दायर की।

हम बाद के चरण में मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करेंगे, लेकिन हमारे सामने उठाए गए कानूनी मुद्दे यह हैं कि क्या अपीलकर्ता-प्राधिकरण अनर्जित वृद्धि की वसूली करने का हकदार है और यदि ऐसा है तो किस आधार पर। जहां तक हस्तांतरित भूमि के मूल्य में अनर्जित वृद्धि की वसूली की पात्रता का संबंध है, यहां तक कि उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-प्राधिकरण के इस अधिकार को बरकरार रखा है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस अनर्जित वृद्धि की गणना उस मूल्य के आधार पर की जाएगी जिस पर अपीलकर्ता-प्राधिकरण भूमि और विकास शुल्क का आवंटन करता है।

अपीलार्थी-प्राधिकरण की ओर से श्री गौरव अग्रवाल द्वारा उठाया गया तर्क यह है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि जब स्थानांतरण सामान्य रूप से वाणिज्यिक कारणों से किए जाते हैं, तो अपीलार्थी-प्राधिकरण को पट्टे पर दी गई संपत्ति के मूल्य में कुल अनर्जित वृद्धि में अपना उचित हिस्सा नहीं मिलना चाहिए।

हम यह नोट कर सकते हैं कि पूरे देश में यह एक मानक प्रथा है, विशेष रूप से उस समय जब इन पट्टों को औद्योगिक संपदाओं की स्थापना के लिए निष्पादित किया गया था, जहां भूमि बहुत कम कीमत पर और कभी-कभी सब्सिडी पर दी जाती थी। राज्य में औद्योगिक संपदाओं की स्थापना में मदद के लिए प्रतिशत की दर। यह उम्मीद की जा रही थी कि फलते-फूलते उद्योगों के साथ इन औद्योगिक संपदाओं की स्थापना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के रूप में राजस्व भी सृजित होगा। मुद्दा

यह है कि क्या आबंटिती वाणिज्यिक कारणों से भूमि का हस्तांतरण करता है, तो प्राधिकरण को भुखण्ड के आबंटिती द्वारा अर्जित अनर्जित आय का उचित हिस्सा केवल प्रश्रुगत भुखण्ड का हस्तांतरण करके क्यों नहीं मिलना चाहिए। अनर्जित वृद्धि पर अधिमूल्य केवल भूमि के मूल्य पर लगाया जा रहा है, न कि लेनदेन के मूल्य पर। एक बार जब कोई उद्योग स्थापित हो जाता है तो इसके विभिन्न घटक हो सकते हैं जिनमें अचल परिसंपत्तियों का मूल्य, मशीनरी का मूल्य आदि और कंपनी द्वारा सृजित सद्भावना का मूल्य भी शामिल है। दूसरी ओर ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही इकाइयां हैं, जहां कर्मचारियों और विभिन्न लेनदारों को देय ऋण और देनदारियों को इकाई की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना करते समय ध्यान में रखना होगा। भूमि की लागत में अनर्जित वृद्धि का आकलन करते समय इन बातों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

जब आवंटियों को हस्तांतरित किया जाता है और उन्हें भूमि के लिए कुछ अधिक मिलता है या अंचल दर में प्रदर्शित बाजार मूल्य उस कीमत से बहुत अधिक होता है जिस पर भूमि आवंटियों को आवंटित की गई थी, तो हमें कुछ नहीं दिखता है। कारण यह है कि आबंटिती को इतनी अनर्जित वृद्धि क्यों करनी चाहिए और बीआईएडीए, जो भूमि का मूल मालिक था, को भूमि के मूल्य से अनर्जित वृद्धि के उचित हिस्से से वंचित किया जाना चाहिए। इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हैं कि अनर्जित वृद्धि केवल बीआईएडीए मूल्य और विकास प्रभारों के आधार पर ही प्रभारित की जा सकती है और हमारी राय में लागू अंचल दर के आधार पर भूमि की कीमत तय करने की बीआईएडीए की नीति कानूनी और वैध है।

अब हम व्यक्तिगत मामलों पर विचार करेंगे। जहां तक 2015 की एसएलपी (सी) संख्या 35887 से उत्पन्न 2019 की सिविल अपील संख्या 8219 के पहले मामले का संबंध है, हम पाते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 09.03.2010 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया था कि रिट याचिकाकर्ताओं के संबंध में की गई व्यवस्था को बाधित नहीं किया जाएगा। इसलिए, हालांकि हम अपीलार्थी के पक्ष में कानूनी प्रश्रुगत का फैसला करते हैं, लेकिन यह प्रतिवादी (ओं) से किसी भी राशि की वसूली करने का हकदार नहीं होगा।

तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

जहां तक 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 28213 से उत्पन्न 2019 की सिविल अपील संख्या 8220 का संबंध है, 10.09.1999 को विलय हुआ था। स्थानांतरण की तारीख, जो कि वास्तविक तारीख है, 10.09.1999 है और हमारे विचार से सभी मामलों में मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से भूमि का मूल्य स्थानांतरण की तारीख होनी चाहिए और इस मामले में यह होनी चाहिए। दिनांक 10.09.1999.ऐसा अभिनिर्धारित करने के पश्चात्, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल रिट याचिकाकर्ता ने रु. 4,25,250/- की राशि का भुगतान किया था, हम संपूर्ण मुकदमे को छोटी राशि के लिए नहीं खोलना चाहते हैं.यह राशि केवल 10.03.2005 को मांगी गई थी और वास्तव में इसका भुगतान 12.04.2007 को किया गया था।अपीलार्थी 10.03.2005 से 14.04.2007 की अवधि के लिए 4,25,250/- रुपये की इस राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज पाने का हकदार होगा।

हम निर्देश देते हैं कि इस राशि पर दो महीने के भीतर ब्याज का भुगतान किया जाए। ब्याज के भुगतान पर, औपचारिक पट्टा विलेख अपीलकर्ता-प्राधिकरण द्वारा मूल रिट याचिकाकर्ता (ओं) के पक्ष में ब्याज के जमा होने के दो महीने के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिए। तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, एसएलपी (सी) संख्या 5251/2017 से उत्पन्न 2019 की सीए संख्या 8222 का निपटान किया गया है।

जहां तक 2016 की एसएलपी (सी) संख्या 31141 से उत्पन्न 2019 की सिविल अपील संख्या 8221 का संबंध है, 07.12.2000 को प्रतिवादी को 0.50 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी।इसका आबंटन मैसर्स शंकर सॉ मिल्स ने अपने मालिक सुखदेव पासवान के माध्यम से किया था।यह स्वीकार किया गया है कि शंकर सॉ मिल्स द्वारा देय बकाया राशि का भुगतान 2002 से 2007 की अवधि के लिए नहीं किया गया था। अपीलार्थी का मामला है कि आदेशों के कारण भुगतान नहीं किया जा सका टी. एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा देश

भर में सौ मिलों के लाइसेंस पर रोक लगा दी गई थी। यह विवादित नहीं है कि अंततः अपीलकर्ता-प्राधिकरण द्वारा जारी एक बार निपटान योजना के तहत, मूल रिट याचिकाकर्ताओं ने 30.07.2000 को योजना के तहत देय सभी देय राशियों का भुगतान किया। हालांकि, इस राशि का भुगतान करते हुए, रिट याचिकाकर्ताओं ने समरस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली हस्तांतरित कंपनी के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण की अनुमति के लिए भी प्रार्थना की, जिसमें यह दावा किया गया था कि अपीलकर्ता एक निदेशक था। मैसर्स समरस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में सुखदेव पासवान की वास्तविक शेयरधारिता दिखाने के लिए हमारे समक्ष कोई सामग्री नहीं है। समरस प्रोडक्ट्स प्रा० लिमिटेड के तरफ से विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकरण की योजना के अनुसार यदि मूल आवंटी कंपनी में 51 प्रतिशत शेयरधारिता रखता है तो इसे स्थानांतरण नहीं माना जाएगा और भुगतान करने के लिए कोई दायित्व नहीं है। इस संबंध में कोई तथ्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है। इसलिए, कानूनी मुद्दों पर पटना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए, हम मामले को वापस पटना उच्च न्यायालय को भेज देते हैं जहां पक्षकार इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि मैसर्स समरस प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रारंभिक निगमन के समय मौजूद दस्तावेजों से पता चलता है कि सुखदेव पासवान की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से अधिक थी, तो जाहिर है कि वह किसी भी हस्तांतरण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन यदि उनकी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से कम है। तब वह हमारे द्वारा ऊपर तय की गई अनर्जित वृद्धि का भुगतान करेगा। चूंकि हमने मामले को भेज दिया है, इसलिए 2009 की रिट याचिका संख्या 4325 को इसकी मूल संख्या में बहाल किया जाएगा ताकि इसे निर्णय के लिए उचित वरिष्ठता दी जा सके।

तदनुसार अपील का निपटान किया जाता है।

(दीपक गुप्ता), न्यायमूर्ति

(अनिरुद्ध बोस), न्यायमूर्ति

नई दिल्ली

22 अक्टूबर, 2019

संख्या- 6

न्यायालय संख्या 15

अनुयाय Xvi

भारत का उच्चतम न्यायालय

कार्यवाही का अभिलेख

अपील के लिए विशेष अनुमति याचिकाएं (दीवानी) सं.(एस) 35887/2015

(पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार द्वारा पारित सीडब्ल्यूजेसी संख्या 9696/2005 में एलपीए संख्या 68/2008-11-05-2015 में दिनांक 11-05-2015 के आक्षेपित अंतिम निर्णय और आदेश से उत्पन्न)

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य

याचिकाकर्ता

बनाम

अमित कुमार और अन्य

प्रतिवादी

के साथ

एसएलपी (सी) संख्या 28213/2016 (XVI)

एसएलपी (सी) संख्या 31141/2016 (XVI)

एसएलपी (सी) संख्या 5251/2017 (XVI)

(आईए नं. 1/2017-दाखिल करने में देरी की स्थिति के लिए-

तिथि:22-10-2019 को इस याचिका पर आज सुनवाई हुई।

द्वारा:

माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस

पक्षकारों के वकील:

श्री गौरव अग्रवाल, एओआर

श्री अमित सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राजीव त्यागी, एओआर

श्री रोहित गुप्ता, अधिवक्ता

सुश्री अनीशा उपाध्याय, एओआर

श्री नीरज शेखर, अधिवक्ता

श्री अनिमेष कुमार, अधिवक्ता

श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता

सुश्री एकता भारती, अधिवक्ता

अधिवक्ता को सुनने के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया।

अनुमति दी गई।

श्री नीरज शेखर, विद्वत अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मूल अधिवक्ता को अब बीआईएडीए के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

इसलिए वह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना उपस्थिति का ज्ञापन दायर किया है और मामले पर तर्क दिया है।

अपीलों का निपटान हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय के संदर्भ में किया जाता है।

लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

(अर्जुन विस्ट)

(रेनू कपूर)

कोर्ट मास्टर (एसएच)

शाखा अधिकारी

(हस्ताक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय फाइल पर रखा गया है)

खण्डन (डिस्क्लेमर):— स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।